वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2009–10

(हिन्दी)

(1–4–2009 से 31–3–2010)

पचांयती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला –171009

अध्याय–1

परिचय

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना वैधानिक रूप से वर्ष 1954 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनिययम, 1952 के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 280 ग्राम पंचायतें थी और उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात वर्ष 1954 में 466 ग्राम पंचायतें स्थापित की गई जिनकी संख्या 1962 में बढ़कर 638 हो गई। एक नवम्बर 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया, परिणामस्वरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 1695 हो गई। मिलाए गए क्षेत्रों में पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पंचायती राज प्रणाली गठित थी जबकि इस राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली गठित थी। पुराने तथा नए क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्वेश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 दिनांक 15 नवम्बर, 1970 से लागू किया और सम्पूर्ण प्रदेश में दो–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त राज्य में न्यायिक कार्यों के लिए अलग से न्याय पंचायतें गठित थी परन्तु 1977 में न्याय पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करके न्यायिक कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। उपरोक्त अधिनियम के वर्ष 1970 में लागू होने के पश्चात ग्राम सभा क्षेत्रों का समय–2 पर पुनर्गठन तथा विभाजन करके नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 3243 ग्राम पंचायतें, 75 पंचायत समितियां और 12 जिला परिषदें गठित है। वर्ष 2005–2006 नई ग्राम पचांयतों का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप पंचायतों की संख्या 3243 हुई।

ग्राम पंचायतों की वर्ष 1952 से संख्या का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	वर्ष	ग्राम पचांयतों की संख्या
1	1952	280
2	1954	466
3	1962	638
4	1966	1695
5	1972	2035
6	1978	2357
7	1985	2597
8	1991	2757
9	1995	2922
10	2000	3037
11	2005	3243

1. पंचायती राज अधिनियम को बनानाः

पंचायत से सम्बन्धित कानून को तिहतरवे संविधान संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994 को 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना एवं निर्वाचनः

संवैधानिक प्रावधान तथा पंचायती राज अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली वर्ष 1995–96 में अपनाई गई।

- पंचायती राज संस्थाओं के पहले आम चुनाव सिवाए विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी दिसम्बर, 1995 में सम्पन्न हुए। पचांयतों ने 23 जनवरी, 1996 को कार्य प्रारम्भ किया तथा पचांयतों का पांच साल का कार्यकाल 22 जनवरी, 2001 को समाप्त हुआ। विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में प्रथम आम चुनाव मई 1996 में सम्पन्न करवाए गए थे।
- दूसरा आम चुनाव सिवाए विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी दिसम्बर, 2000 में हुए तथा वर्तमान में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा 23 जनवरी, 2001 से कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्तमान पचांयतों का पांच साल का कार्यकाल 22 जनवरी, 2006 को समाप्त हुआ। विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में प्रथम आम चुनाव मई 2001 में सम्पन्न करवाए गए थे।
- तीसरे आम चुनाव 48 ग्राम पंचायतों को छोड़ कर अर्थात जिला लाहौल स्पिति के विकास खण्ड लाहौल की 28 ग्राम पंचायतों, जिला चम्बा के उपमण्डल पांगी की 16 ग्राम पंचायतों व जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतों एंव 2 पंचायत समिति लाहौल और पांगी तथा जिला परिषद लाहौल स्पिति के चुनाव दिसम्बर, 2005 में सम्पन्न हुए थे। तथा वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों का कार्यकाल 23 जनवरी 2006 से आरम्भ हुआ शेष 48 ग्राम

पंचायतों, 2 पंचायत समिति तथा एक जिला परिषद के चुनाव क्रमशा जून 2006 व फरवरी 2007 में सम्पन्न करवाए गए थे।

3. पंचायती राज विभिन्न अधिनियम तथा नियमों का विवरणः

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित निम्नलिखिति पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों द्वारा संचालित किया जाता हैः–

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994
2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994
3. राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्ते) नियम, 1994
4. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997
5. हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002
6. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायक की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम, 2008
7. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में कनिष्ठ आशुलिपिक की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम, 2009

4. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आरक्षणः

संवैधानिक प्रावधान के दृष्टिगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर सदस्यों तथा अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा पिछड़ा वर्ग के लिए ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यो ंके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान कार्यकाल में पचांयतों में आरक्षण का विवरण निम्न है:

विवरण	कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए		जनजाति के लिए आरक्षित पद		पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित		सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पद	महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला		
ग्राम पंचायत के सदस्य	19411	3320	1961	604	382	.	.	5125	7468
पचांयत समिति के सदस्य	1676	261	155	69	36	76	52	334	557
जिला परिषद के सदस्य	251	40	24	11	8	13	9	45	86
प्रधान ग्राम पचांयत	3243	528	286	122	68	151	93	662	1109
अध्यक्ष पंचायत समिति	75	11	7	4	3	4	3	16	29
अध्यक्ष जिला परिषद	12	2	1	1	1	1	.	2	5

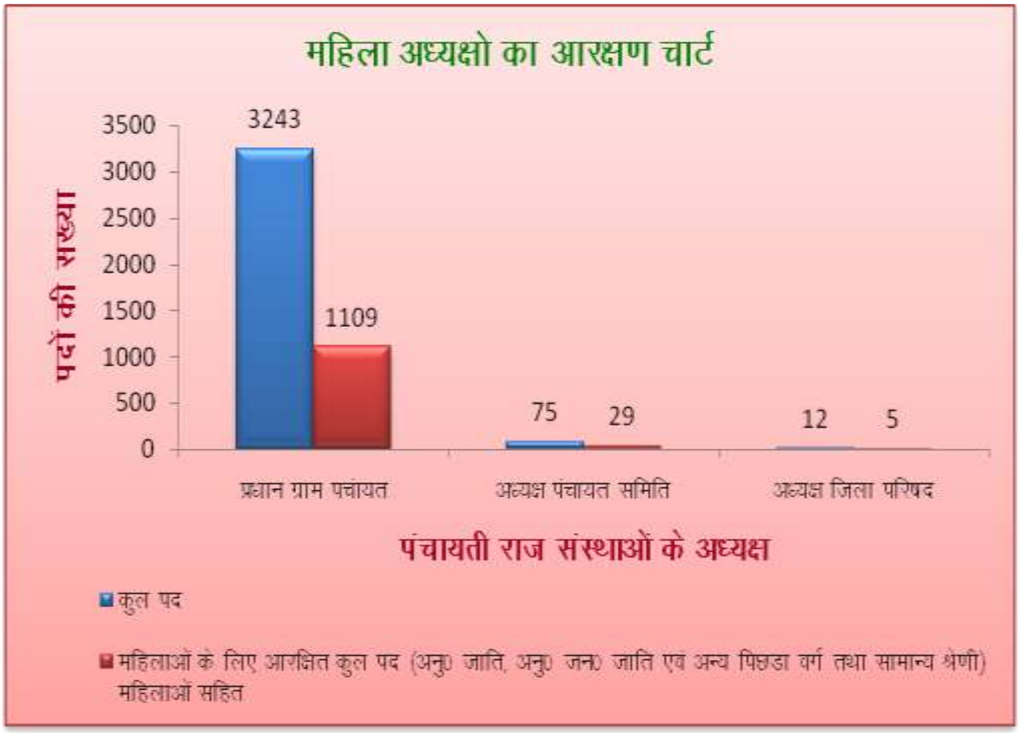

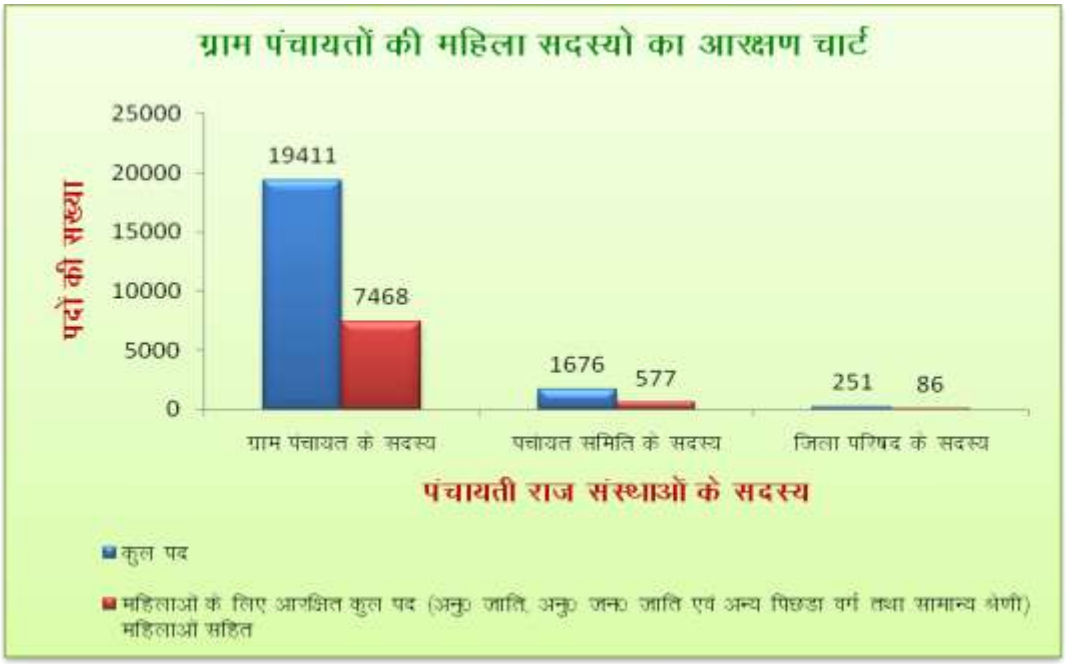
ग्राम पंचायतों की महिला सदस्यो का आरक्षण चार्ट
पदों की सख्या
25000
20000
15000
10000
5000
0
19411
7468
1676
577
251
86
ग्राम पंचायत के सदस्य
पंचायत समिति के सदस्य
जिला परिषद के सदस्य
पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य
कुल पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु० जाति, अनु० जन० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

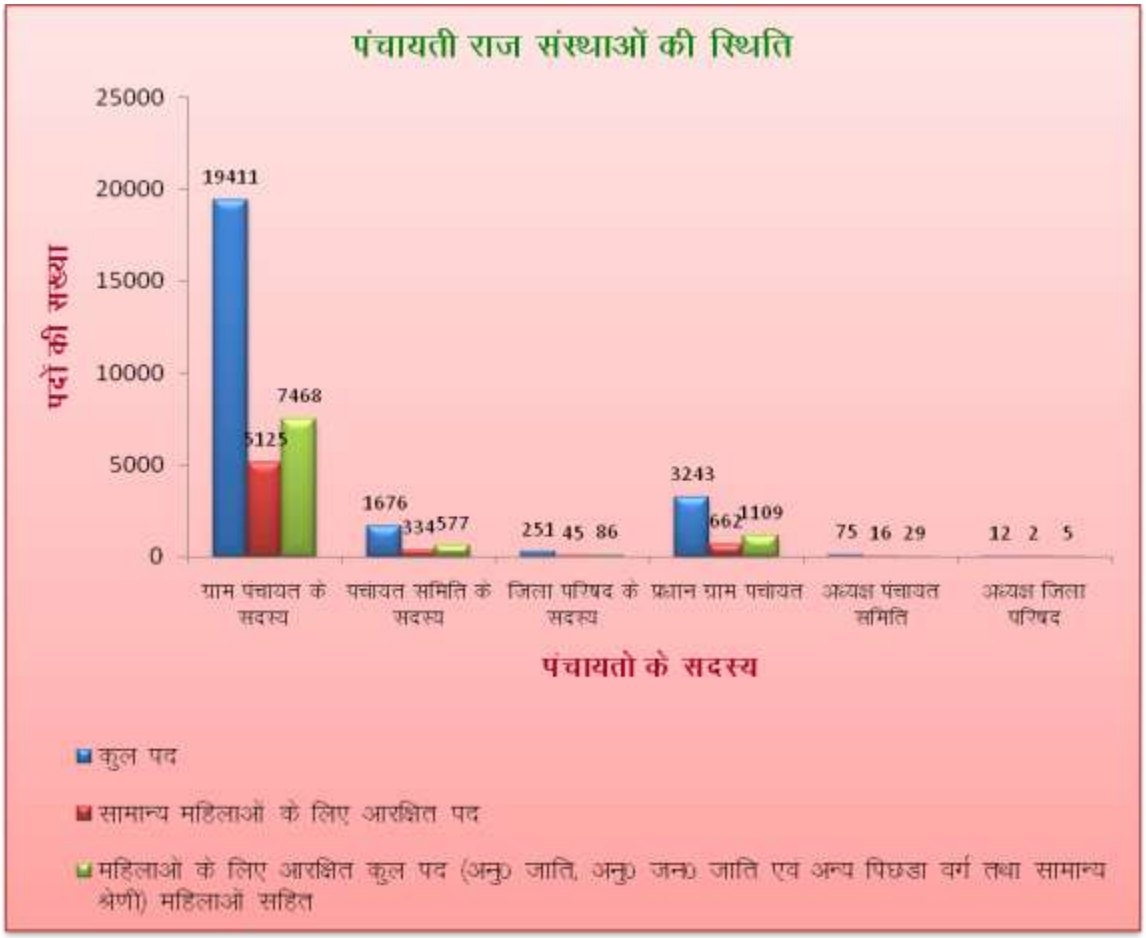
पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति
पदों की सख्या
25000
20000
15000
10000
5000
0
19411
5125
7468
1676
334
577
251
45
86
3243
662
1109
75
16
29
12
2
5
ग्राम पंचायत के सदस्य
पंचायत समिति के सदस्य
जिला परिषद के सदस्य
प्रधान ग्राम पंचायत
अध्यक्ष पंचायत समिति
अध्यक्ष जिला परिषद
पंचायतो के सदस्य
कुल पद
सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पद
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद (अनु० जाति, अनु० जन० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी) महिलाओं सहित

5. हिमाचल प्रदेश में पचांयती राज का ढांचाः

कः ग्राम सभाः

ग्राम सभा, जो कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल ईकाई है, को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार ने ग्राम सभा को सुदृढ़ करने के लिए पहले ही कारगर कदम उठाए हैं। ग्राम सभा केा अपने सदस्यों में से सतर्कता समिति के गठन करने की शक्तियां प्रदान की गई है जो ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यो, योजनाओं तथा अन्य गतिविधियों का निरीक्षण करेगी। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य सतर्कता समिति के सदस्य बनने का पात्र नहीं है। यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभाएं वर्ष में चार बैठके करेगी जो उनकी विशेष बैठकों के इलावा होगी। ये बैठकें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के प्रथम रविवार को आयोजित होंगी। ग्राम पंचायतों के लेखों को ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखना होगा इसके अतिरिक्त अंकेक्षण आपतियां और उसके जवाब को भी ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रदेश में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू है। विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां ग्राम सभा को प्रदान की गई है।

खः उप ग्राम सभाः

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक उप ग्राम सभा गठित होगी। उप ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने तथा इसकी अध्यक्षता करने का दायित्व सम्बन्धित वार्ड सदस्य का होगा। उप ग्राम सभा स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करके ग्राम सभा तथा ग्राम पचांयत को सिफारिशें करेगी। यह 15 प्रतिशत परिवारों को सामान्य ग्राम सभा के लिए भी नामांकित करेगी जिसमें एक तिहाई महिलाएं होगी। नामांकित

किए गए परिवारों के अतिरिक्त अन्य परिवार भी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र होगें।

गः ग्राम पंचायतः

हमारे प्रदेश में एक गांव या गांवों के समूह, जिसकी जनसंख्या 1000 से लेकर 5000 तक हो, के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाती है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में एक हजार से कम जनसंख्या पर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो प्रधान तथा उप–प्रधान को छोड़कर 5 से 13 तक हो सकती है। प्रधान, और सदस्यों का निर्वाचन लोगों द्वारा सीधे मतदान से किया जाता है। जबकि उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

घः पंचायत समितिः

तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली मध्य स्तरीय संस्था को प्रदेश में पचांयत समिति कहा जाता है। इस संस्था की सीमाएं विकास खण्ड के समानान्तर है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है जबकि समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। प्रत्येक समिति सदस्य 3500 या उसके भाग की जनसंख्या पर निर्वाचित होता है परन्तु समिति सदस्यों की कम से कम संख्या 15 होगी। पंचायत समिति का अलग से अपना कोई कार्यालय नहीं है और खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय ही समिति के कार्यालय के रूप मे कार्य करता है। खण्ड विकास अधिकारी को समिति का कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव नामांकित किया गया है।

ङः जिला परिषदः

यह पंचायती राज प्रणाली का सबसे उपर का स्तर है। हमारे प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त नए अधिनियम के लागू होने के पश्चात पहली बार जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्तमान में प्रदेश में 12 जिला परिषदें गठित हैं। जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है जबकि इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपस में से किया जाता है। जिला परिषद का प्रत्येक सदस्य 25000 तथा इसके भाग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु जिला परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या 10 होगी। लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य (जिस क्षेत्र में वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है) तथा जिले में स्थित पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य होगें। अतिरिक्त जिलाधीश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी इसके सचिव हैं।

6. ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रः (Rural Business Hubs):

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र के परिषद का गठन अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (2) 9/2006 दिनांक 24 जुलाई 2006 के अन्तर्गत किया गया है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र परिषद की प्रथम बैठक 6 जनवरी 2007 को हुई थी। उक्त बैठक के अनुसरण में ट्राईफैड, एनसीडीसी, मदर डायरी इत्यादि को अनुरोध किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के साथ साझेदारी रूप में व्यवसायिक केन्द्र स्थापित करने हेतू 14 चिन्हित गतिविधियों मे से एक या अधिक गतिविधियों के बारे में प्रस्तावना प्रेषित करें परन्तु कोई भी प्रस्तावना प्राप्त नहीं हुई। फिर भी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने व्यवसायिक तथा लघु व्यापार विकास संस्थान (NEISBUD) को एक एजेंसी बनाया जो जिला सिरमौर में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सहयोग

करें। इसके उपरान्त ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र के अन्तर्गत रोजगार सृजित करने के लिए एलाकृटी (ALACRITY) से एक प्रस्तावना प्राप्त हुई जिसे पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया परन्तु भारत सरकार का अनुमोदन आपेक्षित है।

7. जिला नियोजन समितिः

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति (DPC) का गठन किया जाएगा। जो जिले की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का संकलन करेंगी तथा पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। इस प्रकार का प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 185 में विद्यमान है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(3)3/96 दिनांक 22 मई, 2006 के अन्तर्गत सदस्यों के पदों का निर्धारण तथा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला नियोजन समिति के गठन को अधिसूचित किया है। जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा चयनित मन्त्री या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगें। अधिनियम की धारा 185 के प्रावधान अनुसार जिलाधीश सम्बन्धित जिला नियोजन समिति के सचिव है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 184 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए एक विकास योजना तैयार करेंगी तथा जिसे वे इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला नियोजन समिति को प्रेषित करेंगें। अधिनियम की धारा 185 की उप–धारा 6 में प्रावधान है कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पचांयतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा जिले के लिए तैयार की गई योजनाओं का संकलन जिला नियोजन समिति द्वारा किया जाएगा तथा पूरे जिले के लिए वे एक प्रारूप विकास योजना तैयार करेंगें एवम् उप–धारा 8 के अन्तर्गत प्रत्येक

जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष विकास योजना को जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई हो को राज्य सरकार के लिए भेजेंगें।

जिला नियोजन समिति के ढाचें को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में योजना विभाग के जिला स्तरीय योजना की संस्थाओं को जिला परिषद के तकनीकी नियन्त्रण में रखा गया है। जिला योजना की संस्थाएं जिला योजना तथा योजना की स्कीमों को बनाने उनकी समीक्षा अनुश्रवण कार्यान्वयन बारे तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। जिला स्तर पर योजना की संस्थाएं जिला परिषद के योजना सचिवालय का काम करेगी। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि जिला चम्बा तथा सिरमौर में पिछडा क्षेत्र अनुदान फण्ड को जिला नियोजन समिति के प्रस्तावों के अनुसार संसाधनों को बढ़ाएगी।

संविधान की अनुसूची 243 जी अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को फण्ड तथा कर्मचारियों की सेवाओं को हस्तांत्ररित किया जाना है। पंचायतों को कार्य, फण्ड तथा कर्मचारियों की सेवाएं स्थानान्तरित न करने के कारण पंचायतें येाजना बनाने तथा उसे जिला नियोजन समिति को भेजने हेतू असमर्थ है। वर्तमान में पचांयती राज संस्थाओं द्वारा दो जिलों नामतः चम्बा व सिरमौर में योजनाएं बनाई जा रही है तथा ये योजनाएं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फण्ड हेतू बनाई गई जिला योजना समिति द्वारा संकलित तथा अनुमोदित की जा रही है। इन जिलों की योजनाएं भारत सरकार द्वारा बनाएं गए (software) नामतः (PLANPLUS) अनुसार तैयार की जा रही है। वर्तमान में पंचायतें बिना शर्त अनुदान की योजनाएं तैयार कर रहीं है तथा ये योजनाएं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है।

8. अनुसूचित क्षेत्र में PESA प्रावधानः

प्रदेश के अनुसूचित (जन जातीय) क्षेत्रों में पंचायतों की स्थितिः–

- जिला किन्नौर व लाहौल स्पिति का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा चम्बा जिला के दो विकास खण्ड नामतः पांगी व भरमौर अनुसूची–iv के क्षेत्र के अन्तर्गत आते है।
- राज्य में अनुसूची –अ के क्षेत्र में दो जिला परिषद नामतः किन्नौर व लाहौल स्पिति तथा जिला चम्बा की जिला परिषद का एक भाग, 7 पचांयत समितियां नामतः कल्पा, निचार, पूह, लाहौल, स्पिति, भरमौर एवं पांगी तथा 151 ग्राम पंचायतें गठित की गई हैः–

किन्नौर	**65**
1. कल्पा	23
2. निचार	18
3. पूह	24
लाहौल स्पिति	**41**
1. लाहौल	28
2. स्पिति	13
चम्बा	**45**
1. भरमौर	29
2. पांगी	16

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित– अ क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,66,402 है तथा कुल 1423 गांव है जिसमें से 688 रहने योग्य है तथा शेष 735 गांव रहने योग्य नहीं है।

- अनुसूची– अ क्षेत्र में ग्राम सभा की औसत जनसंख्या 1102 है यदि प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा गठित की जाती है तो 537 ग्राम सभाओं को गठित करने की आवश्यकता होगी। उस स्थिति में ग्राम सभा की औसत जनसंख्या 241 होगी तथा पंचायत के वार्ड को औसतन 40 से 50 तक की जनसंख्या में परिसीमित करना होगा जिसमें से मतदाताओं की संख्या 25 से 35 तक होगी।
- PESA के प्रावधान के अनुसार अनुसूची– अ के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बद्ध व्यक्तियों को सदस्यों के पदों पर आरक्षित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने अनुसूची – अ क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय व्यक्तियों के लिए पंचात के तीनों स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और कुल पदों में से एक तिहाई पदों को जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को आरक्षित किया गया है। जनजोतीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग प्राप्त हुई जो अध्यक्ष के पदों हेतू 15 प्रतिशत से 27 प्रतिशत तक है जो अन्यथा केन्द्रीय अधिनियम से 40 की धारा 4(जी) के अन्तर्गत वर्जित है। राज्य में यह समस्या विशेष रूप से जिला किन्नौर में आई क्योंकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अन्दर अनुसूचित जाति, जनसंख्या रहती है जनसंख्या का यह अंश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की हैसियत का लाभ उठा रहा है।

अध्याय–2

विभाग का प्रमुख कार्यः

विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन तथा ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुर्नगठन का कार्य किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये कार्यो के निरीक्षण के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये अनुदान, ऋण व व्यय पर वित्तीय नियन्त्रण रखता है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं को हल करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। विभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि अधिनियम व नियम के प्रावधानों का पालन किया जाए तथा विभाग नव–निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ।

अध्याय–3

पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक ढांचाः

यह विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री के अधीन है तथा राज्य स्तर पर सचिव (पंचायत) इसके प्रमुख हैं, जिनके सहायतार्थ निदेशक एवं विशेष सचिव ;पंचायतद्ध और उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं। विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का विवरण 31–3–2010 को निम्न अनुसार हैः–

श्रेणी	पद का नाम	सृजित पद	भरे गए पद	रिक्त पद
राजपत्रित (श्रेणी–i)	1 निदेशक (आई0ए0एस0)	1	1	-
	2 संयुक्त/अतिरिक्त उप–निदेशक हि0प्र0से0	1	1	-
	3 उप–निदेशक, पंचायती राज	1	1	-
	4 उप–नियन्त्रक	1	1	-
	5 अधीक्षक ग्रेड–1	1	1	-
	6 निजी सचिव, विभागाध्यक्ष	1	-	1
	7 जिला पंचायत अधिकारी	12	11	1
	8 प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।	2	2	-
राजपत्रित (श्रेणी–ii)	1. विधि अधिकारी	1	1	-

अराजपत्रित (श्रेणी–ii)	1 अधीक्षक ग्रेड–11	13	10	3
	2 सम्पादक	1	1	-
	3 जिला अंकेक्षण अधिकारी / प्रशिक्षक	19	13	6
	4 निजी सहायक	1	1	-
अराजपत्रित (श्रेणी–iii)	1 वरिष्ठ सहायक	22	20	2
	2 कनिष्ठ आशुलिपिक	2	1	1
	3 पंचायत निरीक्षक	75	58	17
	4 अंकेक्षक पंचायत	88	70	18
	5 उप निरीक्षक पंचायत	75	61	14
	6 लिपिक	67	41	26
	7 चालक	20	15	5
	8 बावर्ची	1	1	-
अराजपत्रित (श्रेणी–iv)	1 यन्त्रचालक	1	1	-
	2 दफतरी	1	1	-
	3 जमादार	1	1	-
	4 चपड़ासी	60	60	-
	5 चौकीदार	11	11	-
	6 बावर्ची	1	1	-
	7 सफाईकर्ता	1	1	-
	कुल	**481**	**387**	**94**

अध्याय–4

पंचायतों के कार्य एवं शक्तियांः

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विर्निष्ट शक्तियों तथा कार्यो :

- कुछ पदाधिकारियों, जैसे कि चपरासी, वैलिफ, पुलिस सिपाही, हवलदार, चौकीदार, सिचांई विभाग के गश्ती, वन रक्षक, पटवारी, टीका लगाने वाले, नहर निगरानी, ग्राम सेवक, आखेट रक्षक, पंचायत सचिव इत्यादि द्वारा अवचार के सम्बन्ध में जांच और रिपोर्ट करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई हैं।
- ग्राम पंचायतों को, भारतीय दण्ड संहिता, टीका अधिनियम, 1880, पशु अतिचार अधिनियम, 1871, हिमाचल प्रदेश किशोर धूम्रपान निषेद्ध अधिनियम, 1952, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867, तथा दण्ड प्रक्रिया संहित, की धारा 125 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई की शक्ति भी प्रदान की गई है।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट के अनुमोदन की शक्ति प्रदान करने के साथ–साथ ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों, गत वित वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गत अंकेक्षण पत्र के उतर यदि कोई हो पर विचार एवं उचित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये योजनाओां, कार्यक्रमों तथा बजट को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा यह भी अधिकृत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के

संतुष्ट होने पर उन पर व्यय की गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र को जारी करें।

- ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के निरीक्षण के लिए ग्राम सभा को सतर्कता समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है इससे सम्बन्धित रिपोर्ट इसकी बैठक में रखी जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी।
- ग्राम पंचायत 5 लाख रूपये तक की राशि तक के विकास कार्य कार्यान्वित कर सकती हैं।
- ग्राम पंचायतों को 3 लाख रूपये तक की लागत के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतू अधिकृत किया गया जिस हेतू कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है फिर 50,000 रू0 तक की लागत के कार्य की तकनीकी स्वीकृति तकनीकी सहायक से ली जानी है। यदि कार्य की लागत 3 लाख से और 10 लाख तक है तो प्रशासकीय स्वीकृति पंचायत समिति तथा तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता से प्राप्त की जानी आवश्यक है तथा यदि कार्य की 10 लाख से अधिक है। प्रशासकीय स्वीकृति जिला परिषद से, तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता से ली जानी आवश्यक है।
- ग्राम सभा की बैठकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष चार साधारण बैठकें होंगी जिसके लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर के पहले रविवार को पूर्व निश्चित दिवस रखा गया है।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में उप ग्राम सभा गठित करने हेतु ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा क्षेत्र के उस वार्ड के सदस्य उप ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

- तीनों स्तरों पर पचांयतों को स्थायी समितियां गठित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को, आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के लिए बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उधार लेने के लिए शक्ति प्रदान की गई है यदि परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वितीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई हो। हालांकि ग्राम पंचायतों को उधार लेने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
- ग्राम पंचायतों को लोक सम्पति, जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं आपूर्ति योजनाओं, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, पम्पों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों, के संरक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इस सम्बन्ध में उल्लंघन होने पर ग्राम पंचायतें 1000/– रू0 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकती है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शास्ति लगाने का भी प्रावधान है जो कि कुल मिला कर 5000/– रू0 तक की हो सकती है।
- ग्राम पचांयतों को कर, फीस, दण्ड तथा सेस आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- यह अनिवार्य किया गया कि कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व तथा कल्याण विभाग के ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें।

(ख) समय–समय पर कार्यकारी आदेशों द्वारा हस्तांतरित शक्तियां एवं कार्यः

प्रजातंत्र को तृणमूल स्तर पर सुदृढ़ करने तथा पचांयती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी स्वशासन निकाय बनाने हेतु राज्य सरकार ने 15 विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक एवं महिला कल्याण के कार्य शक्तियां एवं दायित्व 31 जुलाई, 1996 को इन संस्थाओं को सौंपे गये हैं जिसके अन्तर्गत संविधान को 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 में से 27 विषय लिये गये है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कार्यकारी आदेशों द्वारा पचांयती राज संस्थाओं को निम्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैः–

1 ग्राम पंचायतों द्वारा सूक्ष्म स्तरीय योजना को बनाना।
2 सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था के स्थान चयन को निर्धारित करने की शक्तियां
3 ग्राम स्तर के कर्मचारियों के कार्य एवं उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां।
4 ग्राम स्तर की विभागीय समिति का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित स्थाई समितियों में एकीकरण।
5 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
6 पचांयती राज संस्थाओं को आयुर्वैदिक, एलोपैथिक तथा पशुपालन विभाग के डाक्टरों, स्कूल अध्यापकों, पटवारियों तथा वन रक्षकों की तैनाती स्थान पर उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई है।
7 जिला परिषद के अध्यक्षों को अपनी–2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

8 कांटों द्वारा मछली पकड़ने से सम्बन्धी परमिट जारी करने हेतू ग्राम पचांयतों के प्रधान या उप प्रधान को अधिकृत किया गया है तथा व्यवसायिक मछवारों को सामान्य तथा ट्राऊट मछलियों का परमिट जारी करने हेतू पचांयत समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है एवं इससे प्राप्त फीस सम्बन्धित पंचायतों के निधि का भाग होगी।

9 ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 1/- रू0 प्रति बोतल की दर से सैस एकत्रित करके एकत्रित राशि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरति करने का निर्णय लिया गया है और इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें विकासात्मक कार्यो के लिए करेंगी।

10 खनिज तथा खनन हेतु पट्टा जारी करने से पूर्व तथा खनिज पर आधारित इकाई को स्थापित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अनिवार्य बनाया गया है।

11 जिला परिषद को ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के प्रति, अनुबन्ध के आधार पर, सहायक अभियन्ता नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है।

12 पंचायत समितियों को विकास खण्ड में लिपिक/आशुटंकक के रिक्त पदों के स्थान पर कनिष्ठ लेखापाल को नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है।

13 ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अर्थात् पचांयत चौकीदार, पंचायत सहायक, सिलाई अध्यापिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायक, स्कूलों के जलवाहक, पैरा अध्यापक इत्यादि की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पचांयतों को सौंपा गया है।

14 प्राथमिक पाठशाला भवनों के स्वामित्व तथा इनके रख-रखाव तथा मुरम्मत की जिम्मेवारी भी ग्राम पचांयतों को सौपी गई है।

15 जिला परिषद को जिला स्तर पर तथा पंचायत समिति को खण्ड स्तर पर राजस्व सम्बन्धी कार्यो के निरीक्षण, भूमिहीन तथा आवासहीन व्यक्तियों की

पहचान में सहायता करने, सरकारी भूमि के लिए नीति निर्धारित करने एवं ऐसी भूमि के बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्राधिकृत किया गया है।

16 भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है तथा ग्राम पंचायतें एकत्रित भू–राजस्व को अपने स्तर पर प्रयोग करेंगी।

17 खनिज पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा किसी क्षेत्र को लीज पर देने से पूर्व ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। ग्राम पंचायत को व्यक्तिगत प्रयोग हेतू रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेटों के खनन के परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

18 हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद पारगमन ;स्ंदक तवनजेद्ध 1978 के नियम 11 के उद्धेश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत के प्रधानों को वन अधिकारी नियुक्त किया गया है जो उन 37 मदों में से वन से एकत्रित लघु उत्पाद के पारगमन हेतु पास जारी करेंगे।

ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधनः

1. सरकार से अनुदान
2. गृह कर
3. रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने हेतु कर
4. ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री पर उपकर (1 रूपया प्रति बोतल)
5. भू–राजस्व
6. 1 प्रतिशत फुटकर व्यय
7. व्याज से आय
8. दुकानदारों से तहबाजारी
9. सेवा शुल्क

10. अपनी परिसम्पति जैसे दुकान एवं बागीचे से आय
11. मत्स्य आरबेट (फिशिंग) हेतु लाइसेंस फीस
12. लघु वन उपज हेतु परमिट फीस
13. मोबाइल सेवा प्रदाता पर शुल्क

(ग) पंचायतों द्वारा कर व फीस का अधिरोपणः

वर्तमान में जिला परिषदें व पंचायत समितियों द्वारा कर, फीस व उपकर अधिरोपित नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा 2 नवम्बर, 1999 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा की दर के अधीन ग्राम पंचायतों को निम्न कर व फीस लगाने हेतु अधिकृत किया गया हैः–

(i) गृह करः

क्र0 सं0	विवरण	गृह कर की अधिकतम सीमा
1	जहां व्यक्ति का अपना घर 40 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है	मु0 10 रू0 प्रति वर्ष
2	जहां व्यक्ति का अपना घर 40 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है	मु0 25 रू0 प्रति वर्ष
3	जहां व्यक्ति का अपना घर 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है	मु0 50 रू0 प्रति वर्ष

(ii) रेत, पत्थर, बजरी व स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने पर टैक्सः

(क) रेत, पत्थर तथा बजरी को निकालने हेतु अधिकतम कर 10 रूपये प्रति ट्रक तथा 5 रूपये प्रति ट्रॉली।

(ख) स्लेट को निकालने हेतु अधिकतम कर मु0 50 रूपये प्रति ट्रक।

(iii) फीसः

(क) मेले में दुकानदारों से तहबाजारी उन दरों पर जैसे पंचायत ठीक समझे जिसकी अधिकतम सीमा 30 रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) सेवा शुल्क जिसमें गलियों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु शुल्क शामिल हैं, ग्राम पंचायतें ऐसी दरों पर लगा सकती है। जैसा वह ठीक समझे परन्तु इसकी अधिकतम सीमा उन व्यक्तियों/परिवारों/दुकानदारों /व्यापारिक संस्थानों जिन्हें पंचायत द्वारा यह सेवाएं प्रदान की जा रही है, 20 रूपये प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) ग्राम पचांयत जैसा ठीक समझे ऐसी दरों पर ग्राम सभा क्षेत्र में पशुओं के पंजीकरण हेतु शुल्क लगा सकती है जिसकी अधिकतम सीमा विक्रय मूल्य से 2 प्रतिशत से अधिक न हो।

वर्तमान में पंचायतें एक ही दर पर गृह कर एकत्र कर रही हैं न कि निर्मित भवन के क्षेत्र के हिसाब से, औसतन गृह कर 10 से 15 रूपये प्रति वर्ष लिया जाता है इसके अतिरिक्त बहुत कम पचांयतें ऐसी हैं जो रेत, पत्थर, बजरी व स्लेट पर कर अधिरोपित करती है क्योंकि ये प्रत्येक पंचायत से बाहर नहीं भेजी जाती है। तहबाजारी उन पचांयतों में एकत्रित की जाती है जिनके क्षेत्र में मेले आयोजित किये जाते है।

(घ) मोबाईल संचार सेवा प्रदान कर्ता पर शुल्कः

सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 नवम्बर 2006 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को मोबाईल सेवा प्रदान कर्ता पर शुल्क आरोपित करने हेतू अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर पर 4000/– रू0 प्रति टावर की दर से लगाने की फीस तथा 2000/– रू0 प्रति वर्ष नवीनीकरण फीस निम्न शर्तो अनुसार होगीः–

1. नवीनीरकण राशि की अदायगी एक मुशत में करने का विकल्प (सम्पूर्ण राशि की अदायगी पर 40 प्रतिशत छूट जिसमें पांच वर्ष की नवीनीकरण राशि भी सम्मिलित है)।
2. प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त नवीनीकरण फीस में 25 प्रतिशत बढौतरी होगी।
3. एक ही टावर में प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि आरोपित की जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेयः

हिमाचल प्रदेश देश का शायद पहला राज्य है जहां पंचायती राज सस्थाओं के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में अध्यक्ष, जिला परिषद को 3500/– रूपये प्रतिमास, उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 2500/– रूपये प्रतिमास, तथा जिला परिषद सदस्यों को 1500/– रूपये प्रतिमास, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों पंचायत समिति को क्रमशः 1800/–, 1500/– तथा 1200/– रू0 प्रतिमास प्रदान किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान, 1200/– रूपये प्रतिमास, उप–प्रधान, ग्राम पचांयत को 1000/– रूपये प्रतिमास, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्यों को 150/– रूपये प्रति बैठक की दर से (मास में अधिकतम दो बैठकों के लिए) मानदेय प्रदान किया जाता है।

अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (3)20/95 दिनांक 21.8.2006 के अनुसार पंचायत पदाधिकारियों को निम्न दरों पर दैनिक भत्ते प्रदान किए जाएंगें:–

1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद	80/–
2. सदस्य जिला परिषद तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति	60/–
3. पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा उप प्रधान ग्राम पचांयत	50/–
4. सदस्य ग्राम पंचायत	30/–

यात्रा तथा दैनिक भत्तों पर किये गए व्यय का वहन सम्बन्धित पचांयत द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज पदाधिकारियों की मानदेय अदायगी पर वार्षिक व्ययः–

राशि लाखों में

क0सं0	**विवरण**	**कुल पद**	**कुल व्यय**
1	अध्यक्ष जिला परिषद	12	5.04
2	उपाध्यक्ष जिला परिषद	12	3.60
3	सदस्य जिला परिषद	227	40.86
4	अध्यक्ष पंचायत समिति	75	16.20
5	उपाध्यक्ष पचांयत समिति	75	13.50
6	सदस्य पंचायत समिति	1526	219.74
7	प्रधान ग्राम पंचायत	3243	466.99
8	उप प्रधान ग्राम पंचायत	3243	389.16
9	सदस्य ग्राम पंचायत	16168	582.04
	कुल	**24581**	**1737.13**

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जवाबदेही तथा पारदर्शिताः

प्राथमिक स्तर की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह और इन संस्थाओं के दैनिक कार्यो में पारदर्शिता इत्यादि लाने के उद्वेश्य से सूचना की पहुंच, प्रचार, जबाब देही तथा लोक कार्य को तत्काल निपटाने इत्यादि के अनुदेश जारी किए गए है। यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत का प्रत्येक मतदाता पचांयत के रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपियां भी नाममात्र शुल्क अदा करके प्राप्त कर सकता है। स्थाई तथा अस्थाई सूचनाएं, लाभार्थियों की सूची, योजनाओं का विवरण, स्वीकृत धनराशि सहित, पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव की उपस्थिति का सत्यापन सम्बन्धित पचांयत के प्रधान द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी कर्मचारी वर्गः

पंचायतों द्वारा विकास कार्यों को क्रियान्वित करने तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक का पैनल तैयार किया जाएगा तथा खण्ड स्तर पर प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक होगा। ग्राम पंचायतें पैनल में से किसी तकनीकी सहायक की सेवाएं प्रत्येक कार्य के लिए प्राप्त कर सकती है। तकनीकी सहायक को प्रत्येक कार्य की कुल लागत का 2 प्रतिशत सेवा शुल्क मु0 50000/– रू0 के कार्य के लिए तथा 1.5 प्रतिशत 1.50 लाख रू0 तक के कार्य के लिए अदा किया जाएगा। पचांयत समिति व जिला परिषद को क्रमशः कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है जिसका चयन, समिति द्वारा अनुमोदित मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को क्रमशः 8,700 रूपये (मूल वेतन = 5800 + महंगाई भत्ता = 2900) तथा 11820/– रूपये मूल वेतन + महंगाई भत्ता मासिक

पारिश्रमिक सम्बन्धित पचांयत द्वारा दिया जाता है। उपरोक्त तकनीकी कर्मचारी वर्ग को सम्बन्धित पंचायत के नियन्त्रण में रखा जाता हैं। 29 अनुबन्ध पर नियुक्त किये गए कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवाएं 5800–9200 के वेतनमान में जिला परिषद के अन्तर्गत नियमित की गई है। नियुक्ति किये गए कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	**जिले का नाम**	**सहायक अभियन्ता के स्वीकृत पद**	**कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद**
1	शिमला	1	25
2	सोलन	-	10
3	सिरमौर	-	15
4	किन्नौर	2	5
5	कुल्लू	-	12
6	लाहौल स्पिति	1	4
7	मण्डी	-	28
8	चम्बा	-	19
9	कांगडा	-	37
10	हमीरपुर	-	10
11	बिलासपुर	-	8
12	ऊना	-	14
	कुल	**4**	**187**

पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग:

वर्तमान में 1025 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव नियुक्त हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं 2295 ग्राम पंचायतों को पचांयत सहायक नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है और उनकी सेंवाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अधीन रखी गई है। इन्हें मु0 3120/– रू0 मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है। पंचायत सहायकों को अधिसूचना अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा भी ली जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका की अनुबन्ध पर नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है। इन्हें 1100 रूपये प्रति मास पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पचांयत चौकीदार नियुक्त किया गया है जिसे 800 रूपये प्रति मास पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक के भुगतान की राशि के व्यय को राज्य सरकार तथा सम्बन्धित पचांयत द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुवन्ध के आधार पर नियुक्त किये गए कर्मचारियों का पारिश्रमिक पर वार्षिक व्ययः

पद	शिमला	सोलन	सिरमौर	किन्नौर	कुल्लू	लाहौल	मण्डी	चम्बा	कांगड़ा	हमीरपुर	बिलासपुर	ऊना	कुल वार्षिक व्यय
कनिष्ठ अभियन्ता	17	10	11	5	9	5	24	17	36	10	8	14	17330400/-
सहायक अभियन्ता	1	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	567360/-
सिलाई अध्यापिका	310	192	213	60	177	39	374	259	698	204	126	213	37818000/-
पंचायत सहायक	225	135	157	48	126	29	312	220	441	127	98	152	84767202/-
पंचायत चौकीदार	363	211	228	65	204	41	473	283	760	229	151	235	33078600/-
कनिष्ठ सहायक	2	.	.	3	2	2	.	1	.	.	.	.	579600/-
निजी सहायक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	950400/-
कुल													**175091562**

अंकेक्षणः

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की धारा (1) में प्रावधान है कि पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के निदेशक के नियन्त्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतन्त्र संपरीक्षा अभिकरण होगा, तथा वर्तमान में पचायतों के आय–व्यय पर उचित वित्तीय नियन्त्रण के लिए मुख्यालय में उप नियन्त्रक (अंकेक्षण), जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा प्रत्येक जिले में एक जिला अंकेक्षण अधिकारी नियुक्त है। जिला अंकेक्षण अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी के नियन्त्रण में रखे गये हैं तथा हर जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुपात में पंचायत अंकेक्षक नियुक्त है। एक अंकेक्षक 35 ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण हेतु कार्यरत है।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का हर वित्तीय वर्ष में एक बार अंकेक्षण करवाया जाता है। जिला परिषदों का अंकेक्षण उप नियन्त्रक (अंकेक्षण) पंचायती राज करते है। पंचायत समितियों का अंकेक्षण जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण पंचायत अंकेक्षक करते है। इसके अतिरिक्त जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा जिला में 10 प्रतिशत पंचायतों का टेस्ट अंकेक्षण भी किया जाता है। उन ग्राम पंचायतो तथा पंचायत समितियों जहां पर सभा निधि या समिति निधि में गबन के गम्भीर मामलों में पुनः अंकेक्षण करवाने की भी व्यवस्था है। ग्राम पंचायतो तथा पंचायत समितियों का 1–4–2009 से 31–3–2010 तक किये गए अंकेक्षण का विवरण निम्न तालिका अनुसार हैः–

क0 सं0	जिला का नाम	जिला परिषदों की संख्या		पचांयत समितियों की संख्या		ग्राम पचांयतों की संख्या	
		कुल	अंकेक्षित	कुल	अंकेक्षित	कुल	अंकेक्षित
1	लाहौल स्पिति	1	-	2	2	41	19
2	किन्नौर	1	-	3	3	65	32
3	शिमला	1	1	9	5	363	232
4	सोलन	1	1	5	4	211	181
5	सिरमौर	1	-	6	4	228	67
6	बिलासपुर	1	1	3	3	151	59
7	मण्डी	1	-	10	-	473	222
8	कुल्लू	1	1	5	4	204	81
9	ऊनां	1	1	5	-	235	79
10	हमीरपुर	1	1	6	4	229	146
11	कांगड़ा	1	-	14	-	760	567
12	चम्बा	1	-	7	4	283	194
	कुल	**12**	**6**	**75**	**33**	**3243**	**1879**

निरीक्षणः

प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों को निरीक्षण पंचायत निरीक्षकों द्वारा तथा पंचायत समितियों का निरीक्षण जिला पंचायत अधिकारियों या विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वर्ष 1–4–2009 से 31–3–2010 तक निरीक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	**जिला का नाम**	**ग्राम पचांयत की संख्या**	
		कुल	**निरीक्षत**
1.	लाहौल स्पिति	41	13
2.	किन्नौर	65	28
3.	शिमला	363	219
4.	सोलन	211	194
5.	सिरमौर	228	91
6.	बिलासपुर	151	102
7.	मण्डी	473	341
8.	कुल्लू	204	127
9.	ऊनां	235	168
10.	हमीरपुर	229	225
11.	कांगड़ा	760	645
12.	चम्बा	283	205
	कुल	**3243**	**2358**

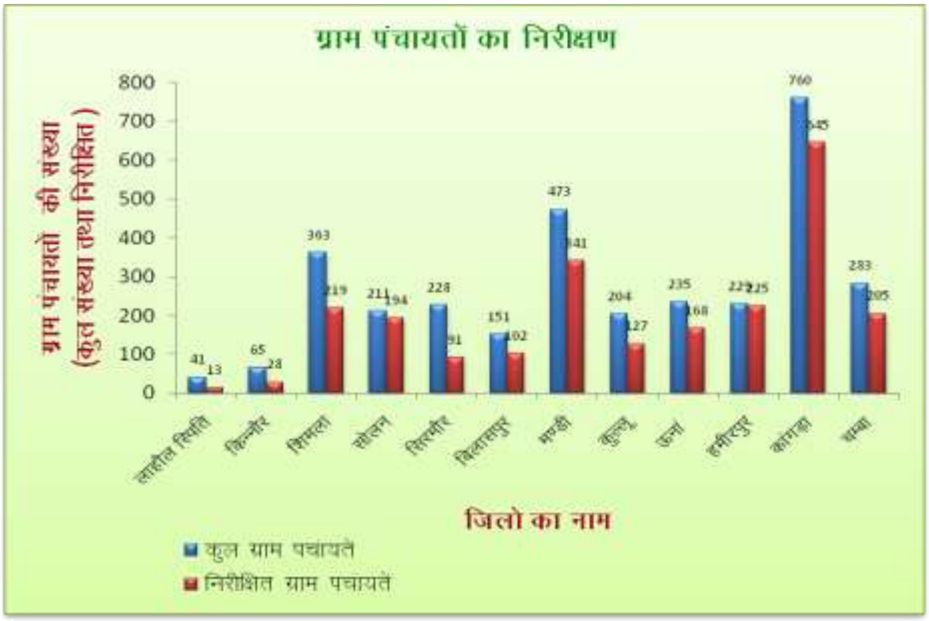

अध्याय–5

प्रशिक्षणः

किसी भी संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानव संसाधन विकास किया जाना अनिवार्य है इस उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु पचायंती राज पदाधिकारी के प्रशिक्षण हेतु विभाग में दो प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, शिमला, तथा बैजनाथ में स्थित है। प्रशिक्षण के उद्वेश्य निम्नलिखित हैः–

1 अधिनियम व नियम जानकारी उपलब्ध करवाना।

2 पंचायती राज पदाधिकारियों को अभिलेखों एवं लेखाओं की प्रक्रिया से अवगत करवाना।

3 ग्राम पंचायतों को न्यायिक कार्य व रिकार्ड की संधारण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना।

4 स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

5 पंचायती राज पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं से अवगत करवाना।

कर्मचारी वर्गः

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा तथा बैजनाथ में एक पद प्राचार्य, दो पद प्रशिक्षक, दो पद लिपिक, दो पद सेवादार तथा एक पद बावर्ची का प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र मे स्वीकृत है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा में आधारभूत ढांचाः

1. प्रतिभागियों हेतू छात्रावास सुविधा के साथ–साथ भोजनालय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास भवन में 10 कमरे है तथा प्रत्येक कमरे में 5 बैड है तथा इस प्रकार से 50 प्रतिभागियों की एक बार में रहने की क्षमता है।

2. एक बडा प्रशिक्षण/कॉनफ्रेंस हाल प्रशिक्षण तथा कार्यशाला के आयोजन हेतू उपलब्ध है जिसमें एक बार में 60 प्रतिभागियों के बैठने की क्षमता है। एक कम्पयूटर लेब की भी स्थापना की गई है।
3. अतिथि विशेषज्ञ के लिए 6 सेटों का कार्य निर्माण अधीन हैं
4. महिला छात्रावास का पृथक से निर्माण किया जा रहा है जिसमें 25 से 30 प्रतिभागी एक वार ठहरने की क्षमता है।

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ में आधारभूत ढांचाः

1. प्रतिभागियों हेतू छात्रावास सुविधा के साथ–साथ भोजनालय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास भवन में दो शयनकक्ष है प्रत्येक शयनकक्ष में 20 बैड है तथा इस प्रकार से 40 प्रतिभागियों की एक बार में ठहरने की क्षमता है।
2. एक प्रशिक्षण हाल है जिसमें प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तथा जिसमें 40 प्रतिभागियों की एक बार बैठने की क्षमता है।

अन्य सुविधाएंः

इन संस्थानों में लाइब्रेरी की सुविधा के साथ–साथ ऑडियों विजवल (एलसीडी, कम्पयूटर) है। इन संस्थानों में पंचायती राज पदाधिकारियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियेां जैसे पंचायत निरीक्षक, अंकेक्षक एवं ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण के उपरान्त विभागीय परीक्षाओं को भी उर्तीण करना होता है।

वर्ष 2009–10 में खण्ड स्तर पर 14530 ग्राम पंचायतो के सदस्यों को न्यायिक कार्यवाही के बारे खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2008–09 के दौरान 1676 पंचायत समिति सदस्यों में से 1600 (95.46 प्रतिशत) 251 जिला परिषद सदस्य में से 251 (100 प्रतिशत) सदस्यों को प्रशिक्षण पदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 16168 ग्राम पंचायत सदस्यों में से 14943 (90.49 प्रतिशत) सदस्य

ग्राम पंचायत को प्रशिक्षित किया गया । इसके अलावा वर्ष 2006–07 में कुल 6486 प्रधान/उपप्रधान में से 6473 प्रधान/उपप्रधान (99.79 प्रतिशत) को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है ।

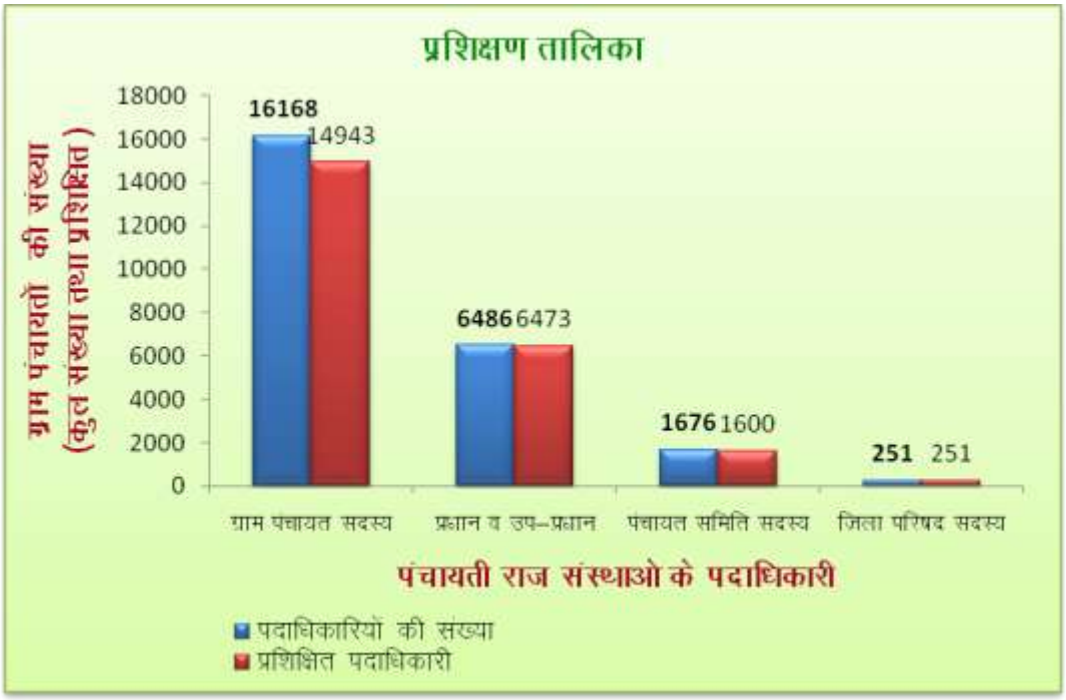

अध्याय–6

पंचायत भवनः

पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्वेश्य से हर जिला मुख्यालय पर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है तथा जिला उना को छोड़कर शेष सभी जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण है। राज्य स्तरीय पंचायत भवन शिमला में निर्मित है, जिसका नियन्त्रण राज्य स्तरीय प्रबन्धक समिति के अधीन रखा गया है, जिसके अधीन एक कार्यकारी समिति भी गठित है जो पंचायत भवन के वार्षिक आय–व्यय के साथ–साथ पंचायत भवन के सुचारू संचालन के कार्यवाही योजना का अनुमोदन करती है। प्रबन्धत समिति की बैठके आवश्यकता अनुसार की जाती है और पंचायत भवन के कार्य संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उप–विधियों भी बनाई गई है।

जिला परिषद भवनः

73वें संविधान संशोधन तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत त्रि–स्तरीय पचांयती राज प्रणाली की स्थापना की गई तथा जिला परिषदें प्रथम वार 1996 में आस्तित्व में आई। जिला परिषद कार्यालय भवनों हेतू उचित बजट प्रावधान किया गया। जिला परिषद बिलासपुर, कांगडा, सिरमौर सोलन, हमीरपुर, कुल्लू तथा मण्डी के भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है तथा उन्होंने अपने भवनों में कार्य करना शुरू कर दिया है । जिला परिषद चम्बा, ऊना तथा किन्नौर के कार्यालय भवनों का कार्य प्रगति पर है। जिला परिषद शिमला तथा लाहौल–स्पिति के भवनों का कार्य अभी शुरू किया जाना है। जिन जिला परिषद भवनों का कार्य प्रगति पर है व अभी शुरू किया जाना है वे अन्य सरकारी भवनों में अपना कार्यालय का कार्य कर रहे है।

अध्याय–7

क. फण्ड

वार्षिक योजना 2007–12 का प्रारूप योजना विभाग की स्वीकृति हेतू प्रेषित किया गया है।

वर्ष 2009–10 के लिए विभाग की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

योजना/गैर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2009–10 पंचायती राज विभाग (गैर जनजातीय)

क्र0 सं0	मुख्य शीर्ष/योजना	स्वीकृत बजट	व्यय
	मांग संख्या: 20		
1	**2515-00-101-02(Soon) गैर योजना**	**807.95**	
	➢ निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत		667.50
	➢ प्रशिक्षण		50.00
	➢ प्रशिक्षण सामग्री		5.00
	➢ सम्मेलन		5.00
	➢ अतिथि सत्कार		2.00
	➢ अभिभाज्य		78.45
	कुल		**807.95**
2	**2515-00-101-07(Soon) गैर योजना**	**2856.83**	
	➢ 12वां वित्तायोग के अन्तर्गत जिला परिषद को अनुदान		428.54
	➢ 12वां वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत समिति को अनुदान		285.68
	➢ 12वां वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को अनुदान		1567.61
	➢ डाटा बेस		575.00
	कुल		**2856.83**

3	**2515-00-101-08(Soon) गैर योजना**	**5182.54**	
	➢ निजी सहायक को मानदेय		5.515
	➢ कनिष्ठ अभियन्ता अनुबन्ध को मानदेय/यात्रा भत्ता।		165.397
	➢ कनिष्ठ अभियन्ता नियमित को मानदेय/यात्रा भत्ता।		165.397
	➢ सिलाई अध्यापिकाओं को मानदेय		271.60
	➢ कनिष्ठ लेखापाल को मानदेय		2.36
	➢ पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मानदेय		1634.969
	➢ पंचायत सहायक को मानदेय		847.672
	➢ पंचायत चौकीदार का वेतन		285.766
	➢ पंचायत चौकीदार को वर्दी		25.973
	➢ कार्यालय व्यय जिला परिषद		56.96
	➢ कार्यालय व्यय पंचायत समिति		17.59
	➢ कार्यालय व्यय ग्राम पंचायत		245.66
	➢ यात्रा भत्ता जिला परिषद		3.00
	➢ यात्रा भत्ता पंचायत समिति		7.00
	➢ यात्रा भत्ता ग्राम पंचायत		97.29
	➢ पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ का निर्माण		115.00
	➢ पंचायत घर का निर्माण		465.45
	➢ पंचायत घर के अतिरिक्त निर्माण हेतू		730.50
	➢ क्षमतावर्धन (राज्य का भाग)		31.16
	➢ रिसोर्स केन्द्र		64.00
	➢ सैट काम (हिपा) (राज्य का भाग)		57.50
	➢ गिरीराज सप्ताहिकी		4.788
	कुल		**5182.54**

4	**2515-00-101-08(Soon) योजना**	**2300.00**	
	➢ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि		2300.00
	कुल		**2300.00**
5	**2515-00-101-11(Soon) योजना**	**39.98**	
	➢ जी0टी0जेड0(परियोजना)		39.98
	कुल		**39.98**
6	**4216-02-800-01(Soon) योजना**	**10.00**	
	➢ जिला पंचायत अधिकारी आवास		10.00
	कुल		**10.00**
7	**4216-03-800-01(Soon) योजना**	**40.00**	
	➢ पंचायत निरीक्षक / उप निरीक्षक निवास		40.00
	कुल		**40.00**
8	**4515-00-101-01 (soon) योजना**	**10.00**	
	कार्यालय भवन निर्माण		10.00
	कुल		**10.00**
	मांग संख्या 32		
1	**2515-00-789-01(Soos) योजना**	**350.00**	
	सामुदायिक भवन निर्माण		350.00
	कुल		**350.00**
2	**2515-00-789-02(Soos) योजना**	**700.00**	
	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि (विशेष घटक) विकासात्मक कार्य		700.00
	कुल		**700.00**
	कुल योगः	**12297.30**	**12297.30**

ख. सामान्य बजट तथा आर0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में पचांयत घर के निर्माण हेतू स्वीकृत अनुदान।

वर्ष 2009–10 के दौरान पंचायतों को प्रदान की गई राशिः

(रूपये लाखों में)

क्र0सं0	जिले का नाम	पंचायतों की संख्या	प्राप्त राशि
1	बिलासपुर	15	51.00
2	ऊना	10	34.00
3	चम्बा	-	-
4	सोलन	25	85.00
5	सिरमौर	-	-
6	कांगडा	65	221.00
7	कुल्लू	26	88.40
8	मण्डी	90	306.00
9	हमीरपुर	12	40.80
10	शिमला	57	193.80
	कुल	**300**	**1020.00**

सूचना का अधिकार अधिनियमः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया हैः–

राज्य स्तरीयः

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव	अपील प्राधिकारी
2	उप निदेशक	लोक सूचना अधिकारी
3	उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	प्राचार्य	अपील प्राधिकारी
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक	लोक सूचना अधिकारी
3	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	सहायक लोक सूचना अधिकारी

जिला स्तरीयः

क्र0सं0	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	जिला पचांयत अधिकारी	अपील प्राधिकारी
2	जिला अंकेक्षण अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय	लोक सूचना अधिकारी
3	अधीक्षक जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय	सहायक लोक सूचना अधिकारी

खण्ड स्तरीयः

क्र0सं0	**वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम**	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**
1	कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति	अपील प्राधिकारी
2	निरीक्षक (पंचायत)	लोक सूचना अधिकारी
3	उप निरीक्षक (पंचायत)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

जिला परिषद स्तरीयः

क्र0सं0	**वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम**	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अपील प्राधिकारी
2	जिला पंचायत अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
3	जिला अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय	सहायक लोक सूचना अधिकारी

पंचायत स्तरीयः

क्र0सं0	**वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम**	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**
1	उपमण्डलाधिकारी नागरिक	अपील प्राधिकारी
2	खण्ड विकास अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
3	सचिव ग्राम पंचायत	सहायक लोक सूचना अधिकारी

जिला स्तरीयः

जिला शिमला

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	0177-2657005
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	0177-2657028
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	0177-2657028

जिला सोलन

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01792-223705
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01792-223756
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01792-223756

जिला सिरमौर स्थित नाहन

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01792-222410
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01792-222272
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01792-222272

जिला किन्नौर

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01786-222290
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01786-222290

जिला कुल्लू

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01902-222226
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01902-222306
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01902-222306

जिला लाहौल –स्पीति स्थित केलांग

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01900-222457
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01900-222457

जिला मंण्डी

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01905-225205
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01905-223025
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01905-223025

जिला हमीरपुर

क्र0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01972-224324
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01972-222407
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01972-222407

जिला बिलासपुर

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01978-224763
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01978-223871
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01978-223871

जिला कांगडा स्थित धर्मशाला

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01892-223321
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01892-223209
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01892-223209

जिला चम्बा

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	वर्तमान पद नाम	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01899-222540
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01899-222204
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01899-222204

जिला ऊना

क0सं0	**सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम**	**वर्तमान पद नाम**	श्रैत्राधिकार (श्रैत्र/विषय)	दुरभाष/ फैक्स नं0
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त निदेशक	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ का निरिक्षण	01975-225188
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण	01975-222607
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक	सरकारी निरिक्षण	01975-222607

खण्ड स्तर पर

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	कार्यकारी अधिकारी एंवम खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिती	अपील प्राधिकारी
2	निरीक्षक (पंचायत)	लोक सूचना अधिकारी
3	उप निरीक्षक (पंचायत)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

ग्राम पंचायत स्तर पर

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारी	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	उप मंण्डल अधिकारी (नागरीक)	अपील प्राधिकारी
2	खण्ड विकास अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी
3	सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव	सहायक लोक सूचना अधिकारी

पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ और मशोबरा

क0सं0	वर्तमान पद नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	दुरभाष (मशोबरा)	दुरभाष (बैजनाथ)
1	प्राचार्य	अपील प्राधिकारी	95177–2740227	951894–263041
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक	लोक सूचना अधिकारी	95177–2740227	951894–263041
3	कनिष्ठ सहायक / लिपीक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	95177–2740227	951894–263041

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला किन्नौर

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	परियोजना अधिकारी, जन जातीय विकास कार्यक्रम एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद किन्नौर.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी एंव सचिव, जिला परिषद किन्नौर.
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी किन्नौर.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला कुल्लू

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कुल्लू.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी एंव सचिव, जिला परिषद कुल्लू.
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी कुल्लू.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला लाहौल स्पीति स्थित केलांग

क्र0सं0	अपील प्राधिकारी का नाम /लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी	पद एंव कार्यालय पता	श्रैत्राधिकार (स्थान/विषय)
1.	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तर पर निरीक्षण
2.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी	पंचायती राज संस्थाओ में जिला स्तर पर अंकेक्षण का कार्य संचालन करना

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला सिरमौर , नाहन

क0सं0	पद का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद सिरमौर
2	अधीक्षक, जिला पंचायत अधिकारी–सिरमौर स्थित नाहन	लोक सूचना अधिकारी
3	नीजी सहायक, जिला परिषद	सहायक लोक सूचना अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला मण्डी

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला सोलन

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश –कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद. सोलन
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद सोलन
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी सोलन

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला शिमला

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिला उपायुक्त अधिकारी, जिला परिषद. शिमला.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद शिमला
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी शिमला.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला हमीरपुर

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिला दंण्डा अधिकारी, एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हमीरपुर.
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद हमीरपुर.
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी हमीरपुर.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला चम्बा

क्र0सं0	पद का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अतिरिक्त जिला दंण्डा अधिकारी, एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चम्बा	अपील प्राधिकारी .
2	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद चम्बा	लोक सूचना अधिकारी .
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी जिला अंकेक्षण अधिकारी चम्बा	सहायक लोक सूचना अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला ऊना

क्र0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ऊना
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद ऊना
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी ऊना

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला बिलासपुर

क0सं0	पद का नाम	प्राधिकारी	क्षैत्राधिकार
1	जिला पंचायत अधिकारी	अपील प्राधिकारी	जिला परिषद बिलासपुर
2	जिला अंकेक्षण अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	जिला परिषद बिलासपुर
3	अधीक्षक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला परिषद बिलासपुर

सचिव कार्यालय, जिला परिषद जिला कांगडा स्थित धर्मशाला

क0सं0	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कांगडा
2	लोक सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी–सचिव, जिला परिषद कांगडा
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी कांगडा

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना www.hppanchayat.nic.in में उपलब्ध है।